



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अनरिद्ध पसबोला (प्राधिकृत प्रतिनिधि), के० डब्लू० डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के अनुरोध के क्रम में प्राधिकरण के इन्दिरापुरम योजना के शक्ति खण्ड-4 में नियोजित होटल भूखंड संख्या-SK-IV-01 (क्षेत्रफल 5965.29 वर्ग मीटर) का भू-उपयोग तलपट मानचित्र में 'होटल भूखण्ड (व्यवसायिक)' से 'आवासीय (ग्रुप-हाउसिंग)' भूखण्ड के रूप में संशोधित साइट प्लान तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2438 / 9-आ-3-98-60 एल.सू.सी. / 96, दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 में दिये गये प्रावधानों के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित कर आपत्ति / सुझाव का निस्तारण उपरान्त अन्तिम अनुमोदन मा० बोर्ड की 174वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.09.2026 में प्रदान किया गया है।

तदक्रम में इन्दिरापुरम योजना के शक्ति खण्ड-4 में नियोजित होटल भूखंड संख्या-SK-IV-01 (क्षेत्रफल 5965.29 वर्ग मीटर) का भू-उपयोग तलपट मानचित्र में 'होटल भूखण्ड (व्यवसायिक)' से 'आवासीय (ग्रुप-हाउसिंग)' भूखण्ड में परिवर्तन / संशोधन किया जाता है।

सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com,  : @ Gda Ghaziabad  : @ gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प